संख्या– 2268/71–1–14–जी–369/2013

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र राय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 20 अगस्त, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ट्यूबेल नं0–1 एवं 3 के स्थान पर 01 नये ट्यूबेल के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एमई/बजट/2013/621, दिनॉक 30.10.2013 एवं पत्र संख्या–एमई/बजट/2014/235, दिनॉक 28.07.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ट्यूबेल नं0–1 एवं 3 के स्थान पर 01 नये ट्यूबेल के निर्माण हेतु रू0 20,64,000/– (रू0 बीस लाख चौसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष रू0 20,64,000/– (रू0 बीस लाख चौसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3– मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

4– प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरवृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

5– उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय–आयोजनागत–03–चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–43–मेडिकल कालेज, गोरखपुर–24–वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–2457/दस–2014–231/ 2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र राय)
विशेष सचिव

संख्या– 2268 (1)/71–1–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग– 1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव